बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

सं०सं० 1/उ०नि० (समायोजन/नियुक्ति) 03–06/17 पार्ट–II

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा एल०पी०ए० संख्या 1489/2011 एवं सिविल रिव्यू 344/2016 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा एस०एल०पी० संख्या 32079/2015 में पारित आदेश के अनुपालन में शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के सं० संख्या 945 दिनांक 27.04.2017 एवं निदेशक, जन शिक्षा, बिहार, पटना के पत्रांक 1289 दिनांक 12.06.18 के निदेशानुसार निम्नलिखित अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक को उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना अन्तर्गत समूह 'घ' के रिक्त पद के विरूद्ध वित्त विभाग के संकल्प संख्या 3590 दिनांक 24.05.2017 के आलोक में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 01 में 18000/– रू० मूल वेतन एवं समय–समय पर दिये गये अन्य भत्तों के आधार पर निम्नांकित शर्त्तों के अधीन परिचारी (आदेशपाल) के पद पर बिल्कुल अस्थायी रूप से समायोजन/नई नियुक्ति करते हुए कॉलम–5 में अंकित कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है :–

क्र०	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	कोटि	पदस्थापित कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5
1.	श्रीमती उमा कुमारी	पति–श्री रामप्रवेश सिंह	GEN	जिला उद्योग केन्द्र, सीतामढ़ी।
2.	श्रीमती बिंदु देवी	पति–श्री मोहन मिश्र	GEN	जिला उद्योग केन्द्र, छपरा (सारण)।
3.	श्री रामजी कुमार	पिता–श्री सत्येन्द्र कुमार	GEN	जिला उद्योग केन्द्र, पटना।

1. यह नियुक्ति बिल्कुल अस्थायी है और किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है।
2. शैक्षणिक योग्यता के सत्यापन के क्रम में प्रमाण पत्र गलत पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकती है।
3. उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना में योगदान के समय समर्पित प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी के माध्यम से प्रमाणित शपथ पत्र (Affidavit) में I. जन्मतिथि का प्रमाण पत्र II. योग्यता का प्रमाण पत्र III. 26, फरवरी 2016 तक या उससे पूर्व व्यक्ति के रूप में नाम से (By name in person) माननीय उच्च या सर्वोच्च न्यायालय में वाद दायर करने का प्रमाण पत्र IV. तीन वर्षों तक लगातार अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक के रूप में कार्य करने का प्रमाण–पत्र एवं अन्य सभी सूचना उनकी जानकारी में सही है, का उल्लेख किया गया है।
4. पदस्थापित कार्यालय में योगदान के समय असैनिक –सह– शल्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. यदि भविष्य में कोई भी सूचना/तथ्य असत्य या भ्रामक पाया जाएगा तो सेवा समाप्त करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
6. इस नियुक्ति में राज्य में प्रवृत्त नई पेंशन योजना लागू होगी। पूर्व की सेवा की गणना नहीं की जाएगी तथा पुरानी पेंशन योजना का लाभ अनुमान्य नहीं होगा।
7. अपनी पहचान के लिए आधार कार्ड, वोटर आई०डी० कार्ड, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस आदि में से कोई एक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

ह०/–
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक /पटना, दिनांक

सं०सं० 1/उ०नि० (समायोजन/नियुक्ति) 03–06/17 पार्ट–II

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, सीतामढ़ी/छपरा (सारण)/पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
उद्योग निदेशक,

ज्ञापांक 824 / पटना, दिनांक 07.02.19

स०स० 1 / उ०नि० (समायोजन / नियुक्ति) 03–06 / 17 पार्ट–II

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना / निदेशक, जन शिक्षा, बिहार, पटना को उनके पत्रांक–1289 दिनांक–12.06.18 के क्रम में / महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सीतामढ़ी / छपरा (सारण) / पटना / आई० टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना एवं 1. श्रीमती उमा कुमारी, पति–श्री रामप्रवेश सिंह, ग्राम+पो०–देवापुर, जिला–गोपालगंज, बिहार। 2. श्रीमती बिंदु देवी, पति–श्री मोहन मिश्र, ग्राम–अगही शुक्ल, पो०–जिग्गा दूबे, थाना–भोरे, जिला–गोपालगंज, बिहार। 3. श्री रामजी कुमार, पिता–श्री सत्येन्द्र कुमार, ग्राम–हिरानंद, पो०–सादिकपुर, थाना–पीरपैती, हरिणकोल, भागलपुर, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।